R. 5121-दो/16 (171)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

मुन्नीलाल शर्मा तनय रामनिधि शर्मा उम्र 70 वर्ष पेशा सेवा निवृत्त पुलिस विभाग निवासी ग्राम झूसी तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

..................**आवेदक / निगराकार**

आवेदक की ओर से श्री रामानुज सोंधिया एड. द्वारा पेश। 4.3.16

4.3.16

बनाम

1. रावेन्द्र कुमार पटेल तनय जगदीश प्रसाद पटेल निवासी ग्राम इटहा कला तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0
2. कौशलेश शर्मा (तिवारी) तनय रामसजीवन तिवारी निवासी ग्राम फुलहा तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0
3. रामलाल शर्मा तनय तेजाराम शर्मा निवासी ग्राम फुलहा तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0
4. श्रीमती कमला देवी पटेल पत्नी खुनेश्वर पटेल निवासी ग्राम इटहा कला तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

..................**अनावेदकगण / गैरनिगराकरगण**

निगरानी विरूद्ध अवैध नक्शा तरमीम कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा पेंशल से दिनांक 30.06.2012 बावत् भूमि खसरा नं0 20/3, 20/2 एवं हल्का पटवारी द्वारा पेंशल से किया गया नक्शा तरमील दिनांक 15.03.2006 एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.03.2006 बावत् भूमि खसरा नम्बर 20/7 स्थित मौजा झूंसी 364 हल्का पटवारी उमरिया व्योहारियान तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

(अ) यह कि भूमि खसरा नं0 20 कुल रकवा लगभग 13 एकड़ जो मौजा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5121–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामानुज सोंधिया द्वारा यह निगरानी नक्शा तरमीम कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा पेंशल से दिनांक 30.6.12 बावत भूमि खसरा न0 20/3, 20/2 एवं हल्का पटवारी द्वारा पेंशल से किया गया नक्शा तरमीम दिनांक 15.3.06 एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.3.06 बावत भूमि खसरा नम्बर 20/7 स्थित मौजा झूंसी 364 हल्का पटवारी उमरिया व्योहारियान तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मैमों के साथ धारा–5 अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि निगरानी के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। अनावेदक अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित होकर निगरानी मेमों का जबाव प्रस्तुत किया तथा कागजात लिस्ट प्रस्तुत की । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 4 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के	

अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य